बैठक कार्यवाही विवरण एम्पावर्ड स्टेण्डिंग कमेटी बैठक दिनांक 25.08.2015

शासन सचिव, जल संसाधन विभाग, राजस्थान जयपुर की अध्यक्षता में दिनांक 25.08.2015 को सांय 4.00 बजे आयोजित एम्पावर्ड स्टेण्डिंग कमेटी की बैठक में मैसर्स प्रमाण कन्स्ट्रक्शन प्रा. लि. 'अअ' श्रेणी ठेकेदार, 9, फाईव स्टार कॉम्प्लेक्स, कुम्भा नगर के पास, हिरण मगरी, सेक्टर–4, उदयपुर (राज.) कार्य Rehabilitation of Dam and canal of Semari Tank under JICA Tehsil Sarada, Dist. Udaipur अनुबंध संख्या 57 वर्ष 2011–12 के क्लॉज 23 के तहत प्रस्तुत क्लेम्स पर लिया गया निर्णय–

आयोजित बैठक में निम्न अधिकारियो ने भाग लिया : –

1. श्री सुनील कुमार जोशी, वरिष्ठ संयुक्त विधि परामर्शी, प्रतिनिधि प्रमुख शासन सचिव, विधि विभाग राजस्थान, जयपुर।
2. श्री जाकिर हुसैन, संयुक्त शासन सचिव, प्रतिनिधि प्रमुख शासन सचिव, वित्त विभाग राजस्थान, जयपुर।
3. श्री सुमनेश लाल माथुर, अतिरिक्त सचिव एवं मुख्य अभियन्ता, जल संसाधन राजस्थान, जयपुर।
4. श्री राजेश कुमार टेपण, अतिरिक्त मुख्य अभियन्ता, जल संसाधन सम्भाग, उदयपुर।

श्री ऋषभ कुमार जैन, अधिशाषी अभियन्ता, जल संसाधन खण्ड, सलुम्बर रेस्पोडेन्ट के रूप में उपस्थित हुए। मैसर्स प्रमाण कन्स्ट्रक्शन प्रा. लि. उदयपुर के डाइरेक्टर श्री हेमराज वरदार, श्री शंकर लाल क्लेमेन्ट के रूप में तथा उनके सलाहकार श्री सोहन लाल कलाल, सेवानिवृत अधिशाषी अभियन्ता उपस्थित हुए।

अधिशाषी अभियन्ता, जल संसाधन खण्ड, सलुम्बर द्वारा तथ्यात्मक स्थिति में यह यह अवगत कराया कि –

"Rehabilitation of Dam and canal of Semari Tank JICA मद में स्वीकृत हैं। उक्त कार्य की निविदा सूचना 2/2011–12 के प्राप्ति पश्चात निविदा की प्रतिस्पर्धा में न्यूनतम दर मैसर्स प्रमाण कन्स्ट्रक्शन प्रा. लि. उदयपुर की न्यूनतम दरे @ 4.85 प्रतिशत अधिक (बी.एस.आर. 2011) पर प्राप्त हुई। तत्पश्चात सक्षम स्तर अतिरिक्त मुख्य अभियन्ता, जल संसाधन सम्भाग, उदयपुर 5225 दिनांक 01.03.2012 से @ 4.85 प्रतिशत अधिक राशि रू. 24075650/ का स्वीकृत किये जाने पर अधिशाषी अभियन्ता, जल संसाधन खण्ड, सलुम्बर के पत्रांक 1385–95 दिनांक 02.03.212 द्वारा फर्म को कार्यादेश जारी किया गया एवं कार्य सम्पादन हेतु विभाग एवं संवेदक के मध्य अनुबंध संख्या 57 वर्श, 2011–12 निष्पादित किया गया। अनुबंध के अनुसार कार्य प्रारम्भ तिथि 15.03.2012 एवं संभावित पूर्णता तिथि 14.06.2013 नियत की गई थी। इसमें 15 माह वर्षा ऋतु एवं नहर चलने की अवधि सहित सम्मिलित थी।

संवेदक द्वारा दिनांक 12.06.13 तक मात्र 135.74 लाख रू. (56.64 प्रतिशत) का कार्य विभिन्न पत्राचार/नोटिस जारी करने के उपरान्त सम्पादित किया। यह कार्य जापान इन्टरनेशनल कॉपरेशन एजेन्सी (JICA) द्वारा संचालित था। संवेदक/क्लेमेन्ट द्वारा मात्र आसानी से हो सकने वाले कार्य को करने में रूचि रखी, शेष रहे कार्य को करने का कोई प्रयास नही किया गया। शेष रहे कार्य की लागत 105.49 लाख हैं जिसकी निविदा आमंत्रित की जानी हैं एवं शेष कार्य अन्य ठेकेदार से पूर्ण कराया जाना है एवं संविदा की धारा 3 सी के तहत वसूली की जानी हैं।

संवेदक द्वारा कमेटी की बैठक दिनांक 25.08.2015 में कमेटी के समक्ष 25.08.15 को एक रिजोन्डर प्रस्तुत किया जिसमें पूर्व में प्रस्तुत क्लैम्स के अतिरिक्त ओर क्लैम्स सम्मिलित किये गये। कमेटी द्वारा मूल क्लैम्स एवं रिजोन्डर के माध्यम से प्रस्तुत अतिरिक्त क्लैम्स पर दोनो पक्षो को विस्तृत रूप से सुना गया तथा क्लैम वाईज निम्नानुसार निर्णय पारित किया गया।

क्लेम 1. Refund of Security Deposit – (क्लेम पत्र 07.05.15 द्वारा प्रस्तुत क्लेम राशि रू. 1390712 का भुगतान)

संवेदक ने कमेटी को अवगत कराया कि उनके द्वारा विभाग द्वारा उपलब्ध साइट के अनुसार कार्य सम्पादित किया गया हैं अतः रनिंग बिलो से काटी गई धरोहर राशि का उन्हे भुगतान किया जावे।

अधिशाषी अभियन्ता, जल संसाधन खण्ड, सलुम्बर द्वारा कमेटी को अवगत कराया कि परियोजना पूर्व में निर्मित थी एवं मात्र रिहेबिलिटेशन का कार्य सम्पादित करना था। संवेदक को कार्य करने हेतु पूर्ण साईट उपलब्ध थी, वर्षा ऋतु एवं केनाल रनिंग पिरीयड संवेदक को दिये गये समय में सम्मिलित हैं। संवेदक/क्लेमेन्ट द्वारा मात्र आसानी से हो सकने वाले कार्य को करने में रूचि रखी शेष कार्य को करने का कोई प्रयास नही किया। विभाग द्वारा संवेदक को समय समय पर कार्य पूर्ण करने हेतु पत्र/नोटिस जारी किये गये लेकिन संवेदक ने कार्य में कोई रूचि नहीं दिखाई।

संवेदक/फर्म द्वारा प्रथम रनिंग से 12 वे अपूर्ण अन्तिम बिल तक 1390226/ रू. की सेक्यूरिटी डिपोजिट के रूप में राशि काटी गई थी। संवेदक द्वारा कार्य अपूर्ण छोड देने से सक्षम स्तर से संविदा की धारा 2 के तहत शेष रहे कार्य पर 10 प्रतिशत आरोपित क्षति पूर्ति राशि रू. 1054905/ माह 04/15 से वसूल की जा चुकी हैं। विभाग में जमा शेष राशि रू. 335321/ रू. का समायोजन संवेदक के विरूद्व संविदा की धारा 3 सी के तहत निकलने वाली वसूली राशि में किया जावेगा। अतः क्लेमेन्ट का क्लेम निरस्त योग्य हैं ।

दोनो पक्षो की बहस सुनने, तथ्यो एवं उपलब्ध अभिलेख का गहन अवलोकन एवं आपसी विचार विमर्श उपरान्त कमेटी ने पाया कि यह क्लेम उपयुक्त नही है। अतः इस क्लेम को खारिज करने का निर्णय लिया गया।

क्लेम 2 – Due Payment against Final Bill – (क्लेम पत्र 07.05.15 द्वारा प्रस्तुत क्लेम राशि रू. 150000/ का भुगतान)

संवेदक ने कमेटी को अवगत कराया कि मेरे अन्तिम बिल का भुगतान रू. 150000/ बकाया हैं।

अधिशाषी अभियन्ता, जल संसाधन खण्ड, सलुम्बर द्वारा कमेटी को अवगत कराया कि संवेदक ने अपना बिल प्रेषित नही किया तथा संवेदक द्वारा सम्पादित कार्य के अपूर्ण अन्तिम बिल के ऑवरऑल नाप हेतु संवेदक को कार्यस्थल पर उपस्थित होने हेतु लिखा गया। अन्तिम माप उपरान्त 12 वा एवं अपूर्ण अन्तिम बिल 47720/ रू. का उपखण्ड कार्यालय से प्राप्त हुआ था जिसे माह 05/15 में विभिन्न कटौतियो के पश्चात शून्य राशि का पारित किया जा चुका हैं। जिसमें धरोहर राशि 4772/रू. व 40085 रू. अतिरिक्त सिक्युरिटी डिपोजिट रोकी गई हैं जिसका भुगतान

महालेखाकार के बकाया अनुच्छेद के निष्पादन एवं क्लॉज 3 सी की वसूली के उपरान्त देय होगी अतः क्लेमेन्ट का क्लेम निरस्त योग्य हैं ।

दोनो पक्षो की बहस सुनने, तथ्यो एवं उपलब्ध अभिलेख का गहन अवलोकन एवं आपसी विचार विमर्श उपरान्त कमेटी इस निष्कर्ष पर पहुची की क्लेमेन्ट का यह क्लेम उपयुक्त नही है। अतः इस क्लेम को खारिज करने का निर्णय लिया गया।

क्लेम 3 – Setting aside illegal and wrongful action taken by the Department vide letter no. Account/2014-15/1457 dated 10.04.15 (क्लेम पत्र 07.05.15 द्वारा प्रस्तुत)

संवेदक ने कमेटी को अवगत कराया कि विभाग द्वारा उनके विरूद्व संविदा की धारा 2 व 3 के तहत अवैध कार्यवाही की गई हैं। उनके द्वारा दिनांक 19.10.2012 तक दाई मुख्य नहर एवं WuA Building का राशि रू. 240.76 लाख का कार्य पूर्ण गति से पूरा किया गया था परन्तु इसके बाद विभाग द्वारा 165.00 लाख के कार्य का ले आऊट नही दिया गया। विभाग द्वारा तैयार विस्तृत रिपोर्ट के अनुसार शेष कार्य करने से पूर्व बांध के उपस्ट्रीम में लेमीना जोईन्ट करना एवं डेड स्टोरेज में डिवाटरींग का कार्य किया जाना था, डिवाटरींग का कार्य विभाग को करना था जो विभाग द्वारा नही किया गया इस कारण कार्य पर बाधा उत्पन्न हुई। विभाग द्वारा विभागीय कारणो से उत्पन्न हुई बाधाओं का समयावधि विस्तार स्वीकृत ना कर उन्हे कार्य की प्रगति बढाने हेतु बार–बार पत्र लिखे गये। इसके अतिरिक्त विभाग द्वारा दिनांक 17.04.2013 को अचानक अतिरिक्त आईटम के रूप में कॉफर बांध निर्माण के निर्देश प्रदान किये गये, जिससे यह स्पष्ट है कि विभाग द्वारा कार्य के ले आऊट में परिवर्तन कर दिया जबकि कार्य का 80 प्रतिशत भाग पूर्ण किया जा चुका था। इस प्रकार विभाग द्वारा अनुबंध को तौडा गया है। इसके अतिरिक्त अनुबंध की समयावधि समाप्त होने के उपरान्त अनुबधं की धारा 2 व 3 के तहत कार्यवाही की गई है जो अवैध है।

अधिशाषी अभियन्ता, जल संसाधन खण्ड, सलुम्बर द्वारा कमेटी को अवगत कराया कि निर्माण कार्य Rehibilitation of Dam and Canal of Semari Tank (Under JICA), Tehsil Sarada, Distt Udaipur की निविदा शिड्युल जी राशि 22961994/- पर 4.85% अधिक प्रस्तुत करने पर अतिरिक्त मुख्य अभियन्ता, जल संसाधन संभाग, उदयपुर द्वारा उनके पत्रांक 5225-27 / 01.03.2012 से स्वीकृत करने पर राजस्थान के राज्यपाल की ओर से इस कार्यालय के कार्यादेश संख्या 1385-95 दिनांक 02.03.2012 द्वारा राशि 2,40,75,650/- आवंटित की जाकर संविदा सं. 57 / 2011-12 संपादित की गई थी। संविदा के तहत कार्य प्रारम्भ तिथि 15.03.2012 एंव संभावित समाप्ति तिथि 14.06.2013 निर्धारित थी।

संवेदक को संविदा के शिड्युल "F" एवं RPWA-100 के Clause-2 के तहत निम्न क्वाटर वाईज कार्य की प्रगति संधारण करना प्रस्तावित था एवं उनके द्वारा निम्नानुसार कार्य निष्पादित किया जाना था किन्तु संवेदक द्वारा दिनांक 12.06.2013 तक मात्र 56.18% का कार्य ही सम्पन्न किया गया। यह कार्य जापान इन्टरनेशल कॉ–आपरेशन ऐजेन्सी द्वारा संचालित है। संवेदक द्वारा कार्य प्रारंभ से ही बिना किसी work plan स्वयं की सुविधाजनक स्थिति अनुसार कार्य किया जैसे –

1- RMC का कार्य प्रारंभ : 15.03.2015
2- WUA Building का कार्य : 08.04.2012
3- बांध के U/s Lamina का कार्य : 08.07.2012
4- LMC का कार्य : 08.12.2012

चूंकि आर.एम.सी. डामर युक्त सडक के साथ–साथ स्थित है एवं WUA Building विभाग की Ganghut में बनाया गया है। इन कार्यो को करना easy था, लेकिन दूसरी तरफ एल.एम.सी. गॉव के मध्य से जा रही है जहॉ संवेदक को थोडी मेहनत करनी पड रही थी, उसे संवेदक द्वारा Last Priority से किया गया। इसी प्रकार बांध के लेमिना में Flanks पर कार्य करना आसान था, जिसे संवेदक द्वारा किया गया, लेकिन डेम में मध्य भाग में कार्य नही किया गया। संवेदक को कोफर डेम एवं डिवाटरिंग की स्वीकृति सक्षम स्तर से प्रदान कर दी गई थी। संवेदक ने कॉफर डेम एवं लेमीना जोईन्टिंग का आसान कार्य को संपादित करने में रुचि रखी गई एवं शेष रहे कार्य को करने का कोई प्रयास नही किया गया। कार्यस्थल की बाधा पंजिका से विदित है कि कार्यस्थल पर कोई बाधा नही है। संवेदक के पत्र दिनांक 5/3/2013 (कार्य की निर्धारित पूर्णता तिथि 14/6/2013) से विदित है कि संवेदक द्वारा कार्य में मात्र आसानी से संपन्न किये जाने वाले कार्यो को सम्पादित किये जाने के उपरान्त शेष कार्य स्वयं की इच्छा से अधूरा छोड कार्य बन्द कर दिया गया।

संवेदक को विभाग द्वारा अन्तिम नोटिस पत्रांक 1749–52 दिनांक 5/4/2014 से जारी किया गया। संविदा को प्रभावी रखने के लिए समयावधि में अभिवृद्धि की गई थी। संवेदक द्वारा उक्त कार्य 15 माह में पूर्ण करना था, किन्तु 36 माह से अधिक समय व्यतीत होने पर भी कार्य पूर्ण नही होने के फलस्वरुप अतिरिक्त मुख्य अभियन्ता, जल संसाधन संभाग, उदयपुर ने उनके पत्रांक 6167–68 दिनांक 23/3/2015 से संविदा की धारा 2 व 3सी की कार्यवाही करने की स्वीकृति प्रदान की गई, जिसके तहत संवेदक पर निम्नानुसार कार्यवाही की गई –

1. संविदा की धारा 2 के तहत शेष रहे कार्य राशि रु. 10549049/– पर 10 प्रतिशत क्षतिपूर्ति राशि रु. 1054905/– की वसूली।
2. संविदा की धारा 3सी के तहत शेष कार्य नियमानुसार कार्यवाही कर पूर्ण कराना।

संवेदक द्वारा समय पर कार्य पूर्ण नही करने के फलस्वरुप संबंधित ग्राम सेमारी, ग्राम पंचायत सेमारी में अवस्थित जनजाति परिवार की लाभान्वित होने वाली भूमि को पानी की सुविधा तथा ग्राम पंचायत में अवस्थित मवेशियों को पेयजल से वंचित होना पडा है। संवेदक द्वारा इस प्रकार की कार्यवाही से विभाग को संविदा की धारा 2 व 3 के तहत कार्यवाही करते हुए संविदा निरस्त कर पुनः आमन्त्रित करने का सक्षम स्तर से निर्णय लिया गया है। अतः क्लेमेन्ट का क्लेम निरस्त योग्य हैं ।

दोनो पक्षो की बहस सुनने, तथ्यो एवं उपलब्ध अभिलेख का गहन अवलोकन एवं आपसी विचार विमर्श उपरान्त कमेटी इस निष्कर्ष पर पंहुची की क्लेमेन्ट का यह क्लेम उपयुक्त नही है। अतः इस क्लेम को खारिज करने का निर्णय लिया गया।

क्लेम 4 – Idling Charges (क्लेम पत्र 07.05.15 द्वारा प्रस्तुत क्लेम राशि रू. 325500/ का भुगतान)

संवेदक ने कमेटी को अवगत कराया कि आईडल चार्जेज की राशि का भुगतान कराया जावे क्योंकि विभाग द्वारा कार्य की फाईनल ड्रांईग उपलब्ध नही करवाई गई, कार्य योग्य साईट उपलब्ध नही करवाई गई एवं कार्य की प्रकृति एवं स्वरूप में परिवर्तन किया गया है।

अधिशाषी अभियन्ता, जल संसाधन खण्ड, सलुम्बर द्वारा कमेटी को अवगत कराया कि संवेदक फर्म ने कार्य की निविदा दर प्रस्तुत करने से पूर्व कार्य स्थल का पूर्ण तरह से निरीक्षण अनुबंध में प्रस्तावित प्रावधान " Declared by the Contractor" –

I/we have visited the site and fully acquainted myself/ourselves regarding availability of materials, labour and other factors pertaining to the work before submitting this tender.

I/we have carefully studied the condition of contract specifications, additional instructions, special conditions, general rules and directions and other documents of this work and agree to execute the work accordingly. के तहत किया था।

चूंकि संवेदक 'एए' श्रेणी में पंजीकृत ठेकेदार है एवं संविदा संपादित करते वक्त विभाग को बताया था कि संवेदक की स्वयं फर्म द्वारा यह घोषणा की गई थी कि फर्म में इन्जिनियर्स कार्यरत है। अतः संवेदक द्वारा यह कहा जाना कि विभाग द्वारा कार्य का ले–आउट नही दिया जाना मान्य नही है। संवेदक कार्य की प्रगति से भंलीभांति परिचित व उसके इन्जिनियर/किये जाने वाले कार्यो का ले–आउट लगाकर विभाग के अभियन्ताओं से चेक करवाकर कार्य संपादित करना था, जिसकी पालना संवेदक द्वारा नही की गई। संवेदक के द्वारा अधिवक्ता श्री तरूण श्रीमाल के माध्यम से नोटिस दिनांक 09.04.15 को विभाग को भेजा जिसमें आइडल चार्जेज 15500/रू. की मांग की गई थी। अतः नियमान्तर्गत यह क्लेम स्वीकार योग्य नही है।

Extra item जैसे coffer dam के निर्माण का आईटम सक्षम स्तर से राशि रु. 499117/– का दिनांक 15/4/2013 को स्वीकृत किया जा चुका था। इसी स्वीकृत एस्क्ट्रा आईटम का संपादन संवेदक फर्म द्वारा किया भी गया, जिसका भुगतान संवेदक फर्म को किया गया, लेकिन संवेदक द्वारा लेमिना मात्र बांध के बांयी ओर एवं दांयी ओर आसानी से किया जा सकने वाला लेमिना जोडने का कार्य ही संपादित किया गया और कठिनाई वाले कार्य को 13/6/2013 से स्वेच्छा से कार्य बन्द कर कार्यस्थल से बिना किसी सूचना के केम्प हटा दिया गया जबकि बांध खाली था एवं कार्य किये जाने हेतु परिस्थितिया पूर्णतया अनुकूल थी। लेकिन संवेदक द्वारा कोई कार्य नही किया गया, जबकि Saturated मिट्टी / Under water Excavation का आईटम संविदा में था। इस प्रकार संवेदक द्वारा कार्य करने का प्रयास नही किया गया।

संवेदक फर्म के पत्र संख्या शून्य दिनांक 5/3/2013 से जाहीर होता है कि संवेदक कार्य करने के स्थान पर कार्य का यथास्थिति कार्य समाप्ति तिथि के पूर्व ही फाईनल करवाना चाहता था, जबकि निर्धारित पूर्णता तिथि 14/6/2013 नियत थी। संवेदक के पत्राचार से आभास होता है कि

संवेदक फर्म के पत्र संख्या शून्य दिनांक 5/3/2013 से जाहीर होता है कि संवेदक कार्य करने के स्थान पर कार्य का यथास्थिति कार्य समाप्ति तिथि के पूर्व ही फाईनल करवाना चाहता था, जबकि निर्धारित पूर्णता तिथि 14/6/2013 नियत थी। संवेदक के पत्राचार से आभास होता है कि संवेदक द्वारा मात्र पत्राचार किया गया है व वही कार्य संपादित किया गया, जो आसान हो, जिन कार्यो को करने में थोडी बहुत भी कठिनाई थी, उन कार्यो को पूर्ण करने के लिये संवेदक/फर्म द्वारा कोई प्रयास नही किये गये।

संवेदक फर्म द्वारा माननीय मंत्री महोदय को आवेदन कर दिनांक 5/3/2013 के अनुरुप ही यथास्थिति फाईनल करने की मांग की गई है। एक्स्ट्रा आईटम सक्षम स्तर द्वारा 15/4/2013 निर्धारित पूर्णता तिथि से पूर्व में स्वीकृत की जा चुकी थी, जिसका भुगतान भी संवेदक को किया गया। संवेदक द्वारा कार्य पूर्ण करने की मंशा कभी भी नही जाहीर की गई एवं ना ही समयावधि बढाने हेतु आवेदन किया गया एवं ना ही कभी निर्माण कार्यक्रम प्रस्तुत किया गया। संवेदक फर्म 'एए' श्रेणी में पंजीयन ठेकेदार है। संविदा की धारा 8 बी के तहत कार्य की मात्रा/गणना के अनुरुप अपना बिल प्रस्तुत करना होता है, जिसकी पालना संवेदक ने नही की है। विभाग द्वारा संवेदक द्वारा कार्य पूर्ण नही करने की वजह से संविदा की धाराओं के अन्तर्गत कार्यवाही की गई है, जो नियमान्तर्गत एवं उचित है। संविदा में आईडल चार्जेज का कोई प्रावधान नही होने से मांग/क्लेम उपयुक्त नही है।

दोनो पक्षो की बहस सुनने, तथ्यो एवं उपलब्ध अभिलेख का गहन अवलोकन एवं आपसी विचार विमर्श उपरान्त कमेटी इस निष्कर्ष पर पंहुची की क्लेमेन्ट का यह क्लेम उपयुक्त नही है। अतः इस क्लेम को खारिज करने का निर्णय लिया गया।

क्लेम 5 – On account of breach of the contract by the Department (क्लेम पत्र 07.05.15 द्वारा प्रस्तुत)

संवेदक ने कमेटी को अवगत कराया कि फर्म द्वारा संविदा संख्या 57/2012–13 राशि रू. 240.76 के विरूद्ध आवंटित कार्य को कार्यस्थल पर संसाधन एवं मशीनरी इत्यादि निर्माण सामग्री पर कार्य प्रारम्भ किया एवं 165.00 लाख का कार्य पूर्ण कर दिया। फिर भी विभाग द्वारा संविदा निरस्त कर दी गई। विभाग के द्वारा अनुबंध तोडा गया है क्योकि बाई मुख्य नहर की भूमि में विवाद होने के कारण एवं लेमिना जोईन्टिंग की समस्या का समाधान नही करने के कारण विभाग द्वारा लगभग सम्पूर्ण कार्य का ले आऊट नही दिया गया।

अधिशाषी अभियन्ता, जल संसाधन खण्ड, सलुम्बर द्वारा कमेटी को अवगत कराया कि संवेदक फर्म द्वारा आवंटित समय में कार्य पूर्ण नही करने एवं खण्ड द्वारा विभिन्न पत्रो/नोटिस के लिखने के पश्चात कार्य पूर्ण करने में कोई रूचि नही लेने के फलस्वरुप अतिरिक्त मुख्य अभियन्ता, जल संसाधन संभाग, उदयपुर के पत्रांक 6167 दि. 23/3/2015 द्वारा राशि रू. 1054905/– की क्षतिपूर्ति आरोपित किये जाने के क्रम में अधिशाषी अभियन्ता, जल संसाधन

खण्ड, सलूम्बर ने आदेश सं. 1452–59 दि. 10/4/2015 से राशि रु. 1054905/– की क्षतिपूर्ति आरोपित की गई है। जिसकी वसूली की जा चुकी है। धारा 3 (सी) की अवशेष राशि वसूली की जानी है। क्लैम सख्यां 03 मे यह स्पष्ट किया जा चुका है कि विभाग द्वारा नियमानुसार एवं अनुबंध के प्रावधानों के अनुसार कार्यवाही अमल में लाई गई है। अतः क्लेमेन्ट का क्लेम निरस्त योग्य हैं।

दोनो पक्षो की बहस सुनने, तथ्यो एवं उपलब्ध अभिलेख का गहन अवलोकन एवं आपसी विचार विमर्श उपरान्त कमेटी इस निष्कर्ष पर पंहुची की क्लेमेन्ट का यह क्लेम उपयुक्त नही है। अतः इस क्लेम को खारिज करने का निर्णय लिया गया।

कमेटी के समक्ष दिनांक 25.08.15 को प्रस्तुत रिजॉइन्डर में प्रेशित क्लेम –

क्लेम 6 – Charges for Disposal of slush राशि रू. 750000/

संवेदक ने कमेटी को अवगत कराया कि बांध के उप स्ट्रीम में आर.सी.सी. लेमिना कार्य हेतु, नींव की खुदाई हेतु 50–60 वर्षो से एकत्रित हो रहे Mud को हटाना था एवं डिवाटरींग का कार्य आवश्यक था इसके लिये राशि रू. 750000/ का भुगतान दिलाया जावे।

अधिशाषी अभियन्ता, जल संसाधन खण्ड, सलुम्बर द्वारा कमेटी को अवगत कराया कि संविदा के शिड्यूल जी (बिल ऑफ क्वांटिटी) के आईटम संख्या 6 में एस्केवेशन अण्डर वाटर का कार्य किये जाने का प्रावधान लिया हुआ था। संवेदक फर्म द्वारा इस मद में किये गये कार्य के अनुरूप भुगतान कर दिया गया एवं कोई भुगतान किया जाना शेष नही हैं। अतः क्लेमेन्ट का क्लेम निरस्त योग्य हैं ।

दोनो पक्षो की बहस सुनने, तथ्यो एवं उपलब्ध अभिलेख का गहन अवलोकन एवं आपसी विचार विमर्श उपरान्त कमेटी इस निष्कर्ष पर पंहुची की क्लेमेन्ट का यह क्लेम उपयुक्त नही है। अतः इस क्लेम को खारिज करने का निर्णय लिया गया।

क्लेम 7 – संविदा की धारा 45 के अन्तर्गत एस्केलेशन राशि का भुगतान राशि रू.298452

संवेदक ने कमेटी को अवगत कराया कि कार्य पूर्ण करने की निर्धारित दिनांक तक किये गये कार्य का संविदा की धारा 45 के अन्तर्गत एस्केलेशन राशि रू.298452 का भुगतान दिलाया जावे।

अधिशाषी अभियन्ता, जल संसाधन खण्ड, सलुम्बर द्वारा कमेटी को अवगत कराया कि:

संविदा की धारा 45 के सब पेरा VII "Price adjustment clause shall be applicable only for the work that is carried out with in the stipulated time, or extension there for as are not attribuatable to the contractor" के तहत संवेदक द्वारा निर्धारित माइलस्टोन के अनुसार एवं कार्य निर्धारित अवधि में सम्पादित नही किये जाने के कारण देय नही हैं। अतः क्लेमेन्ट का क्लेम निरस्त योग्य हैं ।

दोनो पक्षो की बहस सुनने, तथ्यो एवं उपलब्ध अभिलेख का गहन अवलोकन एवं आपसी विचार विमर्श उपरान्त कमेटी इस निष्कर्ष पर पंहुची की क्लेमेन्ट का यह क्लेम उपयुक्त नही है। अतः इस क्लेम को खारिज करने का निर्णय लिया गया।

क्लेम 8 – संवेदक द्वारा राशि रू.3969173 पर 18 प्रतिशत ब्याज की मांग।

संवेदक ने कमेटी को अवगत कराया कि प्रस्तुत क्लेम 1 से 7 पर 18 प्रतिशत ब्याज का भुगतान दिलाया जावे।

अधिशाषी अभियन्ता, जल संसाधन खण्ड, सलुम्बर द्वारा कमेटी को अवगत कराया कि संवेदक द्वारा कार्य अपूर्ण छोडा गया है एवं संविदा की धारा के अन्तर्गत कार्यवाही की गई हैं तथा संवेदक के समस्त क्लैम्स निरस्त योग्य है। अतः कोई ब्याज देय नही हैं।

दोनो पक्षो की बहस सुनने, तथ्यो एवं उपलब्ध अभिलेख का गहन अवलोकन एवं आपसी विचार विमर्श उपरान्त कमेटी इस निष्कर्ष पर पंहुची की क्लेमेन्ट का यह क्लेम उपयुक्त नही है। अतः इस क्लेम को खारिज करने का निर्णय लिया गया।

(राजेश कुमार टेपण)	(सुमनेश लाल माथुर)	(सुनील कुमार जोशी)	(जाकीर हुसैन)	(अजिताभ शर्मा)
अति. मुख्य अभियन्ता, जल संसाधन सम्भाग, उदयपुर	अति.सचिव एवम् मुख्य अभियन्ता, जल संसाधन राज. जयपुर	वरिष्ठ संयुक्त विधि परामर्शी, प्रतिनिधि विधि विभाग	संयुक्त शासन सचिव प्रतिनिधि वित्त विभाग	शासन सचिव, जल संसाधन विभाग राजस्थान, जयपुर